न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 00348/2020 जिला भीलवाड़ा

1. नसीम बानो पत्नि श्री अब्दुल सलाम मन्सुरी आयु 55 साल वार्ड नम्बर 23 निवासी रेल्वे फुट ब्रिज के पास, भीलवाड़ा–राजस्थान।
2. आसमा बी पत्नि श्री अब्दुल वहीद मन्सुरी आयु 52 साल वार्ड नम्बर 23 निवासी रेल्वे फुट ब्रिज के पास, भीलवाड़ा–राजस्थान

–अपीलांटस

बनाम्

1. शिवचरण हेडा संस एचयूएफ कर्ता श्री शिवचरण हेडा पिता बालचन्द हेडा निवासी कावाखेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, –भीलवाड़ा(राज0)

–रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 176/2019 आदेश दिनांक 06.11.2020 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0राजस्व अधिनियम।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री सुमित जैन(अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः–श्री भींयाराम चौधरी
राजकीय अभिभाषकः–श्री आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः–29.03.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आंटून के खसरा नम्बर 151,156,178 एवं 2574/156 कुल किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थिति होकर रेस्पोडेंट नम्बर 1 शिवचरण हेडा एंड संस एचयूएफ कर्ता श्री शिवचरण हेडा पिता बालचन्द हेडा निवासी कावाखेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा के नाम खातेदारी में दर्ज है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने एवं आये दिन सीमा संबंधित विवाद की वजह से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआरएक्ट 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत किया। जिसे 176/2019 नम्बर पर दर्ज किया गया। दिनांक 06.11.2020 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश बाबत पत्थरगढ़ी जारी किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की गई है–

1. अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व तहसीलदार से जवाब प्राप्त नहीं किया है। ना ही कोई रिपोर्ट प्राप्त की है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2020 को निरस्त किया जायें। उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। स्थगन प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा बिना सुनवाई आदेश जारी करने की बात कही है। तामील नहीं होने के बावजूद तामील होने की बात कहकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट के खातेदारी खेत के चारों ओर चार दिवारी बनी हुई है तथा रेस्पोडेंट उसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन आदेश की आड़ में बेदखल करने पर आमादा है। अतः अपीलाधीन आदेश की पालना को स्थगित रखा जायें।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं उससे संबंधित न्यायालय आदेशिका प्रकरण संख्या 176/2019 दिनांक 10.07.2019 से दिनांक 06.11.2020 का अवलोकन किया गया। तामील के बिन्दु पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2020 का है और न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 09.12.2020 को दर्ज करना पाया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेंट उपस्थित नहीं हुए। बहस के दोरान वकील अपीलांट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 2 और 5 उपस्थित हुए थे। शेष की अदम तामील होने से पत्रावली तलबी में चल रही थी। दिनांक 07.02.2020 को पीठासीन अधिकारी द्वारा आइन्दा पेशी तलबाना पेश करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। मगर इसकी पालना न करके दिनांक 06.11.2020 को निर्णय सुनाते हुए पत्रावली फैसल कर दी। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 10 जमनालाल पिता भूरालाल ब्राहम्ण निवासी आंटून की तामील के दोरान 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाना बताया गया था। इसके विधिक वारिसान को पत्रावली पर न लेकर अविधिक रूप से अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। आदेश खारिज किया जाये। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। तामील को देखा गया। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के रीडर द्वारा सभी रेस्पोडेंट को दिनांक 10.07.2019 को नोटिस जारी कर दिनांक 14.08.2019 को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत निर्देश दिये गये थे। रेस्पोडेंट नम्बर 3 सोनाथ पिता नन्दा जाट के नोटिस की पुश्त पर यह अंकित है कि प्रार्थी के घर पर कोई नही मिला, नाबालिग बच्चे नही मिले। रेस्पोडेंट नम्बर 4 गोपाल चौधरी पिता नारूलाल के पुश्त भाग पर यह अंकित है कि प्रार्थी घर पर नही मिला। परिवार वालों ने तामील लेने से मना किया। रेस्पोडेंट नम्बर 1 के प्रेषित नोटिस की पुश्त पर यह अंकित है कि मकान में रहने वाले किरायेदार ने लिया है कागज। प्रिया ने लिया है कागज। रेस्पोडेंट नम्बर 2 विनोद पिता गणपतलाल डांगी के नोटिस को स्वंय विनोद ने लिया है। रेस्पोडेंट नम्बर 11 आसमाबी पत्नि अब्दुल वहीद की तामील नही होना पाया गया। रेस्पोडेंट नम्बर 12 वर्तमान अपीलांट नसीम बानो पत्नि अब्दुल सलाम मंसूरी के नोटिस की पुश्त पर यह लिखा है कि काफी तलाश करने पर भी नही मिली। रेस्पोडेंट नम्बर 5 मांगीलाल पिता भूरालाल ब्राहम्ण का नोटिस स्वयं मांगीलाल द्वारा प्राप्त किया गया। रेस्पोडेंट नम्बर 10 जमनालाल पिता भूरालाल ब्राहम्ण की मृत्यु 2 वर्ष पूर्व होना बताया। जिस पर 2 गवाहों के नाम अंकित है–नारायणलाल, कल्याण माली। रेस्पोडेंट नम्बर 6 देवेन्द्र कुमार पिता मदनलाल के प्रेषित नोटिस की पुश्त पर उसे भीलवाड़ा में रहना बताया है तथा बैंक में नोकरी करना बताया है। इसके नोटिस पर भी नारायणलाल और कल्याण माली के नाम गवाह के तौर पर अंकित है। रेस्पोडेंट संख्या 7 आशा पिता मदनलाल को भीलवाड़ा में होना बताया है। रेस्पोडेंट नम्बर 8 कैलाश पिता मदनलाल को भीलवाड़ा में रहना बताया है। रेस्पोडेंट नम्बर 4 गोपाल चौधरी को प्रेषित नोटिस उसकी पुत्री अनिता चौधरी द्वारा लिया गया। रेस्पोडेंट नम्बर 3 सोनाथ पिता नन्दाजाट का नोटिस परिवार वालो ने लेने से मना किया है। दूसरी ओर न्यायालय के रीडर द्वारा दिनांक 06.09.2019 को नोटिस जारी किये जिसमें दिनांक 25.09.2019 को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया था। आशा को भेजे दुबारा नोटिस को इन्द्रा जो उसकी भाभी है उसने लिया है। कैलाश चन्द पिता नन्दलाल को भेजे गये दूसरे नोटिस को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SemiAttested

उसकी पत्नि इन्द्रा ने लिया है। रेस्पोडेंट देवेन्द्र कुमार का नोटिस इन्द्रा छोटे भाई की पत्नि ने लिया है। आसमाबी को भेजे गये दूसरा नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ है। सोनाथ पिता नन्दा को भेजा गया दूसरा नोटिस भी अदम तामील प्राप्त हुआ है। प्रार्थी के घर पर ताला लगा हुआ है। गोपाल चौधरी के नोटिस को परिवार वालो ने लेने से मना किया है। तीसरा नोटिस न्यायालय रीडर द्वारा दिनांक 05.10.2020 को जारी किया गया। जिसमें दिनांक 12.10.2020 को उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया। नसीमबानों, आसमाबी और गोपाल चौधरी , दिप्ती शर्मा को रजिस्टर्ड से भिजवाया जाना पाया जाता है। दिप्ती शर्मा की तामील होना पाया जाता है। इनमें से शेष की तामील बाबत पत्रावली में कोई जानकारी नहीं मिलती है। स्पष्ट है कि तामील के अभाव बावजूद अपीलाधीन आदेश जारी किया गया था। जमनालाल की मृत्यु की सूचना तामील से जानकारी मिलने के बाद भी उसके वारिसान को पत्रावली पर नहीं लिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय में वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा 2 में यह अंकित किया है यह कि विपक्षीगण संख्या 1 से 12 उक्त आराजी के पड़ौसी है। उक्त आराजी के कोई सीमा चिन्ह नही होने से मेड़ पाली व दरकतान को होकर विवाद होता रहता है। जिससे शांति भंग होने की संभावना रहती है।

विवाद की स्थिति होने के बावजूद मौके की कोई रिपोर्ट तहसीलदार से नहीं मंगवायी गई है। सीधे ही पत्थरगढ़ी बाबत आदेश दिया गया है। जो उचित नहीं है।

आरआरटी 2021(2) पेज 1259 गजा बनाम केवा न्यायिक दृष्टांत के अनुसार पत्थरगढ़ी बाबत प्रक्रिया तय की गई है। जिसका पालन आवश्यक है। यह सही है कि किसी भी काश्तकार को अपने कृषि भूमि की सीमाओं का ज्ञान रखने का अधिकार है। मगर इस बाबत निर्देशित प्रक्रिया का भी पालन किया जाना आवश्यक है। सीमा विवाद के बारे में यह स्पष्ट प्रावधान है कि लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर अर्थात उपखण्ड अधिकारी सीमा विवाद को तय करेगा। उक्त निर्णय वर्तमान सर्वे मेप के आधार पर किया जायेगा। अगर सर्वे में नहीं है तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सीमाज्ञान करवाया जायेगा अर्था जहां कोई विवाद ना हो और सिर्फ सीमाज्ञान करना हो तो वहां तहसीलदार के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। परंतु जहां विवाद की स्थिति हो वहां लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर धारा 111 के प्रावधान के तहत सीमाज्ञान करवायेगा। लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर(उपखण्ड अधिकारी) के पास विवाद आने पर वह तहसीलदार को सीमाज्ञान कराने का आदेश दे सकता है या राजस्व विभाग की टीम बनायी जा सकती है और मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवायी जा सकती है। फिर दोनो पक्षों को सुनकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा और संबंधित पक्षकारों को पाबंद करेगा कि किस पक्ष की सीमा कहा तक है और उसमें दूसरा पक्ष किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर द्वारा स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिए। बाउण्डरी विवाद के बारे में यह तय करना चाहिए कि बाउण्डरी कहां स्थापित है और पैमाइस के आधार पर सीमाऐं कहां बनेगी। अपने निर्णय के आधार पर लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर सीमा रेखा स्थापित करेगें। सीमा निर्धारित करने के बाद पत्थरगढ़ी हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जायेगा। पत्थरगढ़ी का खर्च कौन उठायेगा। यह भी लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार तार्किक आदेश उपखण्ड अधिकारी/लैण्ड रिकोर्ड आफिसर द्वारा जारी किये जाने पर पक्षकार यदि फिर भी स[illegible] होते है तो वे अपील का लाभ ले सकते है। वर्तमान प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी [illegible] किसी प्रक्रिया का पालन न करते हुए प्रतिदिन जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया [illegible] जो कानून की दृष्टि में व्यर्थ आदेश है। उनके द्वारा नियमों की प्रक्रियाओं की पालना नहीं की गई है।अपीलाधीन प्रकरण में तामील प्रोपर नहीं हुई है। मृतक के वारिसान को पत्रावली पर लिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। तहसीलदार से कोई मौका रिपोर्ट विवाद होने की स्थिति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SelfAttested

बावजूद नहीं मंगवायी गई है। पत्थरगढ़ी हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 176/2019 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 एलआरएक्ट निर्णय दिनांक 06.11.2020 को अपास्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SelfAttested